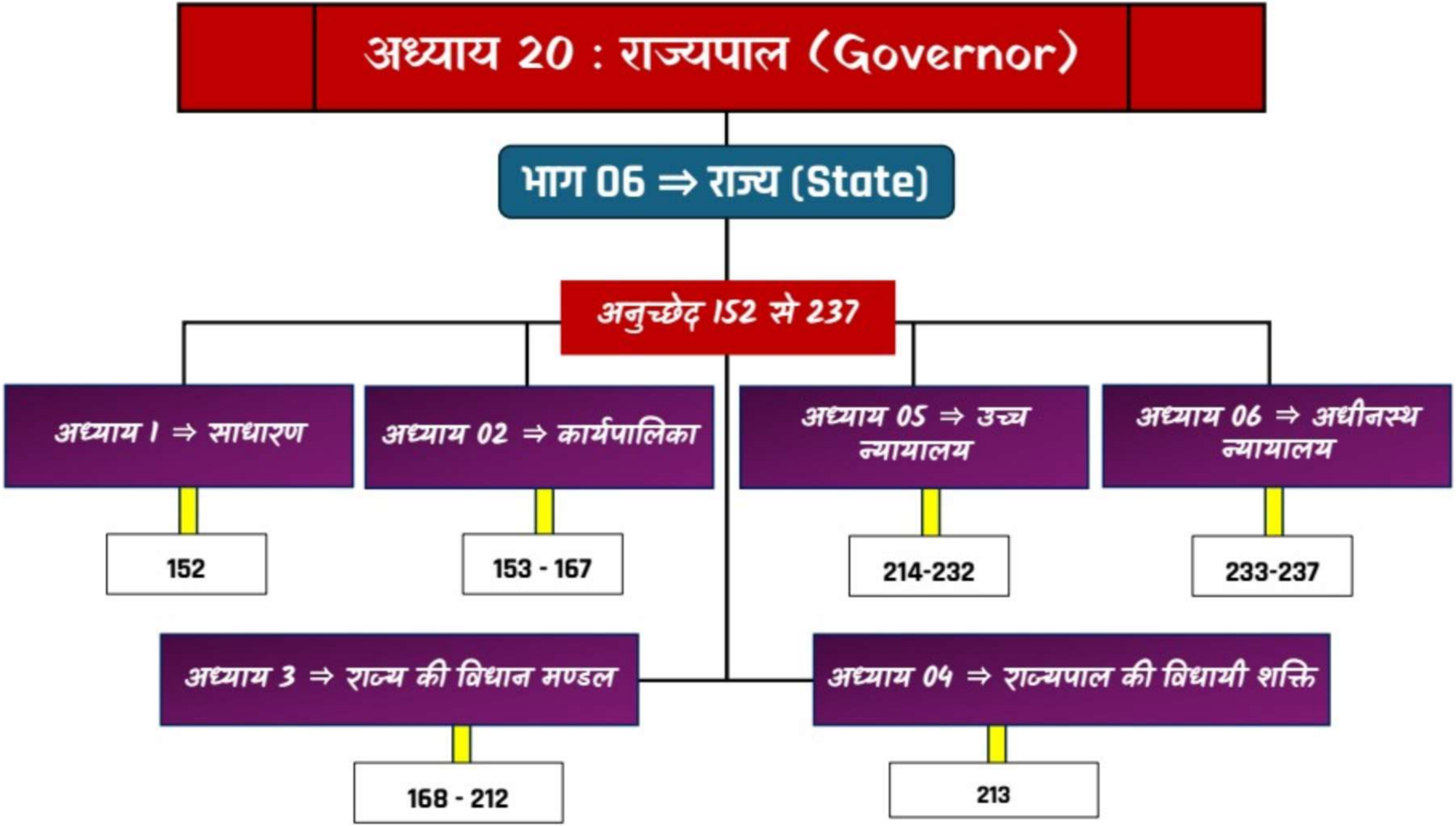
अध्याय 20 : राज्यपाल (Governor)
भाग 06 ⇒ राज्य (State)
अनुच्छेद 152 से 237
अध्याय 1 ⇒ साधारण
152
अध्याय 02 ⇒ कार्यपालिका
153 - 167
अध्याय 05 ⇒ उच्च न्यायालय
214-232
अध्याय 06 ⇒ अधीनस्थ न्यायालय
233-237
अध्याय 3 ⇒ राज्य की विधान मण्डल
168 - 212
अध्याय 04 ⇒ राज्यपाल की विधायी शक्ति
213

1) प्रमुख अनुच्छेद (Key Article)

अनुच्छेद 152 - परिभाषा	○ 'State' शब्द की विशेष परिभाषा
अनुच्छेद 153 - राज्यों के राज्यपाल	○ प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा; ○ एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
अनुच्छेद 154 - राज्य की कार्यपालिका शक्ति	○ राज्य की कार्यपालिका शक्ति → राज्यपाल में निहित ○ प्रयोग: स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा
अनुच्छेद 155 - राज्यपाल की नियुक्ति	○ नियुक्ति → राष्ट्रपति (हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र) ○ कोई चुनाव नहीं → कनाडा मॉडल
अनुच्छेद 156 - राज्यपाल की पदावधि	○ राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ○ त्यागपत्र → राष्ट्रपति को
अनुच्छेद 157 - राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ	○ भारत का नागरिक हो ○ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

अनुच्छेद 158 - राज्यपाल के पद की शर्तें	○ संसद/विधानमंडल का सदस्य नहीं; सदस्य हो तो सीट रिक्त ○ कोई अन्य लाभ का पद नहीं ○ निःशुल्क आवास + परिलब्धियाँ; कार्यकाल में कम नहीं
अनुच्छेद 159 - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	○ संविधान तथा विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ या प्रतिज्ञान ○ शपथ → संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश
अनुच्छेद 160 - कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल	जिस आकस्मिकता के लिए इस अध्याय में उपबंध नहीं है, उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकता है।
अनुच्छेद 161 - राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति	○ क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण ○ केवल राज्य कार्यपालिका विषयों के कानून
अनुच्छेद 162 - राज्य की कार्यपालिका शक्ति	○ राज्य सूची के विषयों तक ○ समवर्ती सूची → संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन

अनुच्छेद 163 - मंत्रिपरिषद	○ प्रधान : मुख्यमंत्री → कार्य : राज्यपाल को सहायता व सलाह ○ सीमित मामलों में संविधान राज्यपाल विवेक (discretion) देता है। मंत्रिपरिषद की सलाह की न्यायालय में जाँच नहीं

अनुच्छेद 164 - मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध	○ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी; ○ मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ○ कुल मंत्री विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं और सामान्यतः 12 से कम नहीं। ○ मंत्री छह लगातार माह तक गैर-सदस्य रह सकता है; उसके बाद पद छोड़ना होगा।
अनुच्छेद 165 - राज्य का महाधिवक्ता	○ राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह हो। ○ राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी
अनुच्छेद 166 - कार्य का संचालन	○ राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। ○ राज्यपाल कार्य के सुविधाजनक लेन-देन और मंत्रियों में आवंटन के लिए नियम बनाता है।
अनुच्छेद 167 - मुख्यमंत्री के कर्तव्य	○ मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों और विधायी प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देगा ○ राज्यपाल कहे तो किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए।
अनुच्छेद 168 विधानमंडल का गठन	○ विधानमंडल = राज्यपाल (Governor) + विधानसभा (Legislative Assembly) + विधान परिषद (Legislative Council) ○ **6 राज्यों में** विधान परिषद → **TUMBAK** → तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक

अनुच्छेद 169 - विधान परिषदों के सृजन या उत्सादन	○ **संसद** → विधान परिषद को समाप्त या नई विधान परिषद का गठन → साधारण बहुमत (Simple Majority) ○ **राज्य विधानसभा का संकल्प** → राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित
अनुच्छेद 170 - विधानसभा की संरचना	○ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व → **अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60** ○ अपवाद → सिक्किम 32, गोवा 40, मिज़ोरम 40 ○ चुनाव प्रक्रिया → सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव
अनुच्छेद 171 - विधान परिषद की संरचना	○ **अधिकतम संख्या → विधानसभा सदस्यों का 1/3 और न्यूनतम संख्या 40** ○ चुनाव → आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान ○ 1/6 सदस्य : राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
अनुच्छेद 172 - विधानमंडल की अवधि	○ सामान्य → 5 वर्ष ○ राष्ट्रीय आपातकाल (352) → संसद कानून बनाकर विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। ○ विधान परिषद एक स्थायी सदन → कभी भी भंग (Dissolve) नहीं ○ इसके लगभग एक-तिहाई (1/3) सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त (Retire) हो जाते हैं। ○ कार्यकाल → 6 वर्ष → जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

अनुच्छेद 173 - अर्हता	○ भारत का नागरिक → न्यूनतम आयु सीमा : विधानसभा → 25 वर्ष | विधान परिषद → 30 वर्ष
174 - सत्रावसान और विघटन	○ आहूत, सत्रावसान, विघटन → राज्यपाल → दो सत्रों के बीच अंतर ≤ 6 माह
अनुच्छेद 175 - संबोधन व संदेश	○ राज्यपाल एक या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता ○ लंबित विधेयक पर संदेश → सदन शीघ्र विचार करे
अनुच्छेद 176 - विशेष अभिभाषण	○ राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधित करना अनिवार्य (Mandatory) होता है। ○ प्रत्येक आम चुनाव के बाद आयोजित प्रथम सत्र + प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में।
अनुच्छेद 177 - मंत्री व महाधिवक्ता के अधिकार	○ किसी भी सदन/समिति में बोल व भाग ले सकते ○ महाधिवक्ता → वोट देने का कोई अधिकार नहीं
178 - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	○ विधानसभा यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी
अनुच्छेद 179 - अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, त्यागपत्र और हटाया जाना	○ सदस्यता समाप्त → पद रिक्त ○ त्यागपत्र → अध्यक्ष → उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष → अध्यक्ष को ○ हटाना → तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत; 14 दिन पूर्व सूचना ○ विघटन के बाद भी अध्यक्ष → नई सभा की पहली बैठक तक

अनुच्छेद 180 - निर्वहन	○ अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष, और दोनों पद रिक्त हों तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त
अनुच्छेद 181 - विचाराधीन	○ हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पीठासीन न होना
अनुच्छेद 182	○ **विधान परिषद** यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को **सभापति और उपसभापति** चुनेगी।
अनुच्छेद 183	○ सभापति और उपसभापति के पद का रिक्त होना, त्यागपत्र और हटाया जाना ○ अनुच्छेद 179 जैसी व्यवस्था
अनुच्छेद 184	○ सभापति रिक्त → उपसभापति; दोनों रिक्त → राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य
अनुच्छेद 185	○ हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर सभापति या उपसभापति का पीठासीन न होना
अनुच्छेद 186 - वेतन	○ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते → राज्य विधान-मंडल
अनुच्छेद 187 - सचिवालय	○ प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय
अनुच्छेद 188 - शपथ	○ सदन का प्रत्येक सदस्य → राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष
अनुच्छेद 189 - गणपूर्ति	○ पीठासीन अधिकारी : केवल बराबरी पर निर्णायक मत ○ गणपूर्ति : 10 सदस्य या 1/10 — जो अधिक हो
अनुच्छेद 190 - रिक्त	○ 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता नहीं || 60 दिन बिना अनुमति अनुपस्थिति

अनुच्छेद 191 - निरर्हताएँ	लाभ का पद, सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित होना, अनुन्मोचित दिवालिया होना, विदेशी नागरिकता/निष्ठा और संसदीय विधि के अधीन निरर्हता प्रमुख आधार हैं।
अनुच्छेद 192 - निरर्हता प्रश्नों पर निर्णय	○ अंतिम निर्णय : राज्यपाल — निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार (बाध्यकारी) ○ दल-बदल मामले → अध्यक्ष/सभापति
अनुच्छेद 193 - दंड	○ बिना शपथ बैठने पर दंड → ₹500 प्रतिदिन
अनुच्छेद 194 - विशेषाधिकार	○ सदन या समिति में कही बात या दिए मत के संबंध में सदस्य न्यायालयीय कार्यवाही से संरक्षित होगा।
अनुच्छेद 195 - वेतन व भत्ते	○ सदस्यों के वेतन और भत्ते → राज्य विधान-मंडल द्वारा
अनुच्छेद 196	धन विधेयक और अन्य वित्तीय अपवादों को छोड़कर, द्विसदनीय राज्य में विधेयक किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है और दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है।
अनुच्छेद 197	विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को **परिषद पहली बार अधिकतम लगभग तीन माह** और **दूसरी बार अधिकतम एक माह तक** रोक सकती है।
अनुच्छेद 198	धन विधेयक — विशेष प्रक्रिया → परिषद: 14 दिन में केवल सिफारिशें
अनुच्छेद 199	'धन विधेयक' की परिभाषा

अनुच्छेद 200 - विधेयकों पर अनुमति	○ राज्यपाल के 4 विकल्प : अनुमति दे | रोके | पुनर्विचार हेतु लौटाए | राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करे ○ पुनः पारित होकर आए → अनुमति रोक नहीं सकता
अनुच्छेद 201 - राष्ट्रपति हेतु आरक्षित विधेयक	○ राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक पर अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है; ○ गैर-धन विधेयक के मामले में राज्यपाल को उसे सदनों को पुनर्विचार हेतु लौटाने का निर्देश दे सकता है।
अनुच्छेद 202	○ वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 203	○ प्राक्कलनों के संबंध में विधान-मंडल की प्रक्रिया
अनुच्छेद 204	○ विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 205	○ अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद 206	○ लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद 207	○ वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 208	○ विधान-मंडल का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियम बना सकता है।
अनुच्छेद 209	○ राज्य विधान-मंडल वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रक्रिया और कार्य-संचालन
210 - विधानमंडल की भाषा	○ राज्य की राजभाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी

अनुच्छेद 211	**उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय** के न्यायाधीश के **कर्तव्यों के निर्वहन में उसके आचरण पर राज्य** विधान-मंडल में चर्चा नही की जाएगी।
अनुच्छेद 212	केवल प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर **विधान-मंडल की कार्यवाही की वैधता न्यायालय में प्रश्नगत नहीं** होगी।
अनुच्छेद 213	○ विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में **राज्यपाल की अध्यादेश** जारी करने की शक्ति

2) राज्यपाल (Governor)

- महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान
- राज्यपाल की प्रमुख शक्तियां
- विवेकाधीन शक्तियां (Discretionary Powers)
- विवाद के प्रमुख बिंदु (Friction Areas)
- सुधार हेतु प्रमुख आयोग और उनकी सिफारिशें

राज्यपाल का पद (अनुच्छेद 153)

- प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
- **7वाँ संविधान संशोधन, 1956 — एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल** नियुक्त किया जा सकता है।

राज्य की कार्यपालिका शक्ति (अनुच्छेद 154)

- राज्य की कार्यपालिका शक्ति → राज्यपाल
- वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

राज्यपाल की नियुक्ति (अनुच्छेद 155)

- नियुक्ति → **राष्ट्रपति** द्वारा हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant)
  - ✓ केंद्र द्वारा मनोनीत
  - ✓ अमेरिकी मॉडल (निर्वाचित) को छोड़कर कनाडाई मॉडल (नियुक्त)
  - ✓ पहली महिला राज्यपाल : सरोजिनी नायडू (संयुक्त प्रांत, 1947)
  - ✓ हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक (1979) : राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है; यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है।
- **"प्रत्यक्ष निर्वाचन" के स्थान पर "नियुक्ति" क्यों?**
  - ✓ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव (दोनों जनादेश का दावा करते)
  - ✓ राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख है
  - ✓ राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह व्यक्तिगत मामला बन जाता
  - ✓ निर्वाचन से अलगाववादी प्रवृत्ति को बल मिलता
  - ✓ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति से केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण बना रहता है।
  - ✓ राज्यपाल का चुनाव आम चुनाव के समय होने पर गंभीर समस्या खड़ी होती।

❑ राज्यपाल का कार्यकाल और इस्तीफ़ा (अनुच्छेद 156)

- **अनुच्छेद 156(1) → राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत**
  - ✓ राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है,
  - ✓ एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण
  - ✓ पुनर्नियुक्ति कर सकता
  - ✓ संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया या आधार (Grounds) का कोई उल्लेख नहीं है।
  - ✓ सूर्य नारायण चौधरी बनाम भारत संघ (1981) द्वारा पुष्टि
- **अनुच्छेद 156(2) → राष्ट्रपति को त्याग पत्र**
- अनुच्छेद 156(3) → उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन रहते हुए, **5 वर्ष की अवधि** तक पद धारण करेगा।
  - ✓ कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद, राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।

बी.पी. सिंघल बनाम भारत संघ (2010)

- 'प्रसादपर्यंत' का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति मनमाने या अनुचित तरीके से राज्यपाल को पद से हटा दे।
- केवल केंद्र में सरकार बदलने के आधार पर राज्यों के राज्यपालों को एकमुश्त हटा देना असंवैधानिक है।
- राज्यपाल केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी या एजेंट नहीं है।
- यदि याचिकाकर्ता यह सिद्ध कर दे कि हटाने का निर्णय दुर्भावनापूर्ण (malafide) या मनमाना था, तो न्यायालय इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

❑ राज्यपाल की योग्यताएं (अनुच्छेद 157)

- भारत का नागरिक हो
- न्यूनतम आयु → 35 वर्ष
- दो परंपराएँ (संविधान में नहीं)
  - ✓ राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ वह नियुक्त किया जाता है — ताकि स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
  - ✓ राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति (केंद्र) संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे — ताकि संवैधानिक व्यवस्था सुचारु चले।
- इन दोनों परंपराओं का **कई मामलों में उल्लंघन हुआ** है।

Sarkaria Commission (1983–88) Recommendations

Person to be Appointed as Governor

Constitution of India

Satyameva Jayate

Stronger Centre–State Relations, Stronger India

“The office of Governor should reflect constitutional dignity and neutrality, not politicization.”

1. He/She should be an eminent person in some field of life. (EMINENT)
2. He/She should be from outside the concerned state.
3. He/She should be a neutral person, with no deep connection to the local politics of the state.
4. He/She should not have taken too active a part in politics in recent years.
5. A politician from the ruling party at the Centre should not be appointed Governor of a state governed by an opposition party.
6. The Chief Minister should be effectively consulted in the appointment; it was also suggested that the Vice-President and the Speaker of the Lok Sabha should be consulted. (Chief Minister, Vice-President, Lok Sabha Speaker)
7. The Governor's five-year tenure should normally not be disturbed, except in rare and compelling circumstances. (5 years)
8. After demitting office, the Governor should not return to active politics or accept an office of profit, except the office of Vice-President or President.

Strong Centre–State Relations, Strong Democracy

153 ⇒ पद (POST)

154 ⇒ राज्य कार्यपालिका (ST - E.P)

155 ⇒ नियुक्ति (APPOINT) = PR

156 ⇒ पदावधि (TENURE) = PR

157 ⇒ योग्यता (Q) = 35Y + Citizen

→ 1st ARC.
→ राजमन्नार (TN).
→ सरकारिया.
→ वेंकट चलैया।
→ पुंछी आयोग.

→ प्रसादपर्यंत (PoP)
- RJ High + सूर्यनारायण (1981) ✓
- BP सिंघल (2010) = 5 judge bench.

158

- → Gov (राज्यपाल) = पद की शर्तें (Term of office)
- → 158(1) →
  - सांसद (MP) ⊗
  - विधायक (MLA) ⊗
- → 158(2) → लाभ के पद नहीं (No - office of profit)
- → 158(3) →
  - घर (आवास)
  - वेतन (Salary) → संसद (Parl.) — 1982 Act, ₹3.5 लाख
  - राज्य की संचित निधि पर भारित (Was/che = S-CF)
- → 15 → कार्यकाल के दौरान कम
- ↓ 158(3A)
  - ↓ दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल
  - ↓ वेतन राष्ट्रपति द्वारा अनुपात

159
- → शपथ (Oath)
- → HC के CJ

160 → Emerg/आकस्मिकता → **PR** → राज्यपाल के कार्य सौंप।

361
- → PR + राज्यपाल ⇒ छूट/Libery.
- → कार्य (Duty) ⇒ न्यायालय - व्यक्तिगत रूप।
- → कार्यकाल (Tenure) → कोई भी आपराधिक मामला दर्ज / चलाया।
- → ______ → गिरफ्तार नहीं
- → दीवानी मामले छूट/Civil CASES → 2 माह नोटिस.

❑ पद की शर्तें (अनुच्छेद 158)

- 158(1) → राज्यपाल **संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं** होगा। यदि कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है, तो पद ग्रहण की तिथि से उसका सदन का स्थान रिक्त माना जाएगा।
- 158(2) → वह **कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं** करेगा।
- 158(3) → बिना किराए के आधिकारिक निवास
  - ✓ वेतन → संसद द्वारा
  - ✓ राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982
  - ✓ राज्य की संचित निधि पर भारित
  - ✓ वित्त अधिनियम, 2018 → ₹3.50 लाख प्रतिमाह
- 158(3A) → यदि एक ही व्यक्ति **दो या अधिक राज्यों** का राज्यपाल हो, तो वेतन-भत्ते उन **राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा** निर्धारित अनुपात में बाँटे जाएँगे।
- 158(4) → कार्यकाल के दौरान **वेतन में कमी नहीं**

उन्मुक्तियाँ एवं विशेषाधिकार (अनुच्छेद 361)

- ❖ राष्ट्रपति या राज्यपाल → कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं
- ❖ कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही न शुरू की जा सकती है, न जारी रखी जा सकती है (व्यक्तिगत कृत्यों के लिए भी)
- ❖ कार्यकाल के दौरान उसे गिरफ्तार या कारावास नहीं
- ❖ व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में दीवानी कार्यवाही शुरू की जा सकती है — परंतु उसे 2 माह पूर्व लिखित नोटिस

❑ शपथ (अनुच्छेद 159)

- ❑ **संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश;**
- ❑ उसकी अनुपस्थिति में **उस न्यायालय का वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश।**
- ❑ शपथ के तत्व:
  1) निष्ठापूर्वक **कर्तव्यों का निर्वहन;**
  2) अपनी पूरी योग्यता से **संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण**
  3) स्वयं को राज्य की **जनता की सेवा और कल्याण** में समर्पित करना।

❑ कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन (अनुच्छेद 160)

- ❑ यदि कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका उल्लेख संविधान के इस अध्याय में नहीं किया गया है, तो **राष्ट्रपति (President)** राज्य के **राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन** के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है **जो वह उचित समझे।**
- ❑ **परम्परा** → जब अनुच्छेद 160 के तहत ऐसी स्थिति आती है, तो राष्ट्रपति आमतौर पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

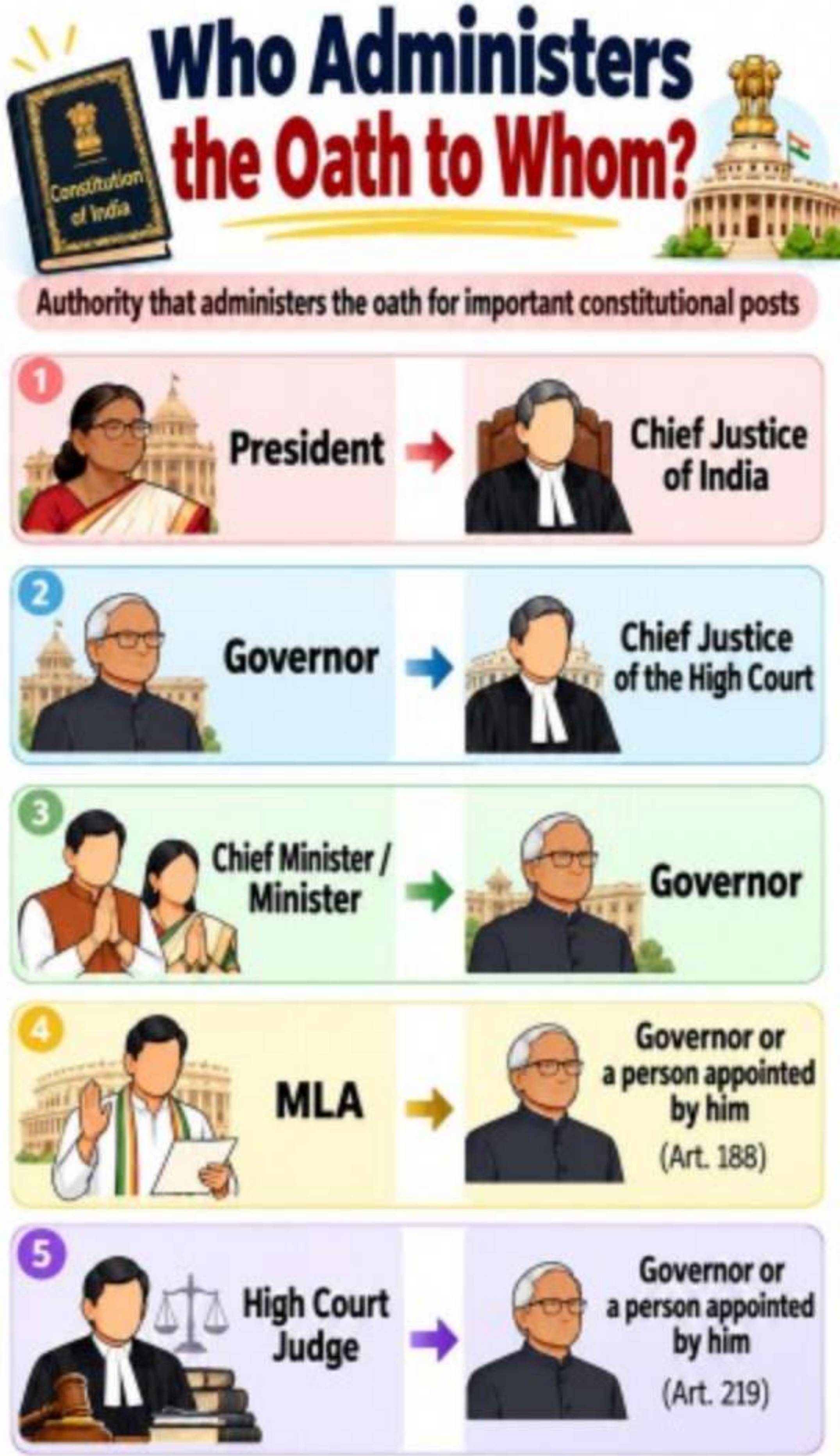

Who Administers
the Oath to Whom?
Constitution of India
Authority that administers the oath for important constitutional posts
1
President
Chief Justice of India
2
Governor
Chief Justice of the High Court
3
Chief Minister / Minister
Governor
4
MLA
Governor or a person appointed by him
(Art. 188)
5
High Court Judge
Governor or a person appointed by him
(Art. 219)

❑ राज्यपाल की "क्षमादान शक्ति" (अनुच्छेद 161)

- ❑ राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों (राज्य सूची और समवर्ती सूची) के तहत।
    1) क्षमा — दंड व दोषसिद्धि दोनों से पूर्ण मुक्ति।
    2) लघुकरण — दंड का हल्के प्रकार में परिवर्तन
    3) परिहार — दंड की प्रकृति बदले बिना अवधि घटाना
    4) विराम — विशेष परिस्थिति के कारण कम दंड।
    5) प्रविलंबन — दंड के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक।
- ❑ यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग होती है
- ❑ एपुरु सुधाकर केस (2006) : क्षमादान निर्णय की सीमित न्यायिक समीक्षा।

Governor's Clemency Power

Article 161

1 Limit on Death Sentence

The Governor cannot completely pardon a death sentence.

2 What can the Governor do?

The Governor can suspend, remit, or commute a death sentence.

3 Regarding Court Martial

The Governor has no power in respect of any sentence awarded by a Court Martial.

Remember: The Governor's power is exercised under Article 161.

❑ राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार (अनुच्छेद 162)

- ❑ राज्य सरकार केवल उन्हीं विषयों पर शासन चला सकती है, जो राज्य सूची में शामिल हैं (जैसे - पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन)
- ❑ यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य की शक्ति संघ (केंद्र) की कार्यपालिका शक्ति के अधीन रहेगी।

❑ मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 163)

- ❑ 163(1) → जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से विवेक से कार्य करने की अपेक्षा है, उन्हें छोड़कर राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
  - ✓ शमशेर सिंह केस (1974): विवेकाधीन क्षेत्रों को छोड़कर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा; वह व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करेगा, न ही सलाह के विरुद्ध जाएगा।
- ❑ 163(2) → कोई विषय विवेक का है या नहीं — इस पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम।
- ❑ 163(3) → मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या नहीं, और दी तो क्या — इसकी किसी न्यायालय में जाँच नहीं होगी।

❑ मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध (अनुच्छेद 164)

- ❑ 164(1) → मुख्यमंत्री (Chief Minister) की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा।
  - ✓ मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं
  - ✓ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में एक "जनजातीय कल्याण मंत्री"
  - ✓ 94वें संविधान संशोधन 2006 → 'बिहार' को हटा दिया गया और 'छत्तीसगढ़ व झारखंड' को जोड़ा गया था
- ❑ 164(1A) → 91वां संशोधन 2003 → CM सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं; **परंतु न्यूनतम 12**
- ❑ 164(1B) → 91वां संशोधन 2003 → दल-बदल के आधार पर निरर्ह घोषित विधायक मंत्री भी नहीं बन सकता
  - ✓ निरर्हता की अवधि → कार्यकाल समाप्ति या पुनः निर्वाचन तक
- ❑ 164(2) → मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी।
- ❑ 164(3) → पद ग्रहण से पहले राज्यपाल पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा (तीसरी अनुसूची)।
- ❑ 164(4) → 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।
- ❑ 164(5) → मंत्रियों के वेतन-भत्ते → राज्य विधानमंडल

❑ महाधिवक्ता (Advocate General) : अनुच्छेद 165

- ❑ राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी
- ❑ 165(1) → राज्यपाल (Governor) द्वारा नियुक्ति
  - ✓ योग्यता : उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो → अनु. 217(2)
- ❑ 165(2) → कार्य और कर्तव्य
  - ✓ राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल सौंपे;
  - ✓ विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन जो राज्यपाल सौंपे;
- ❑ 165(3) → **कार्यकाल और पारिश्रमिक**→ राज्यपाल के **प्रसादपर्यंत**
- ❑ हटाने की कोई प्रक्रिया/आधार संविधान में नहीं।

❑ राज्य सरकार के कार्यों का संचालन : अनुच्छेद 166

- 166(1) → राज्य सरकार की **समस्त कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से**।
- 166(2) → राज्यपाल के नाम से बनाए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को उस तरीके से प्रमाणित किया जाएगा, जो राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट हो।
- 166(3) → राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक ढंग से पूरा करने के लिए नियम बनाएगा।
  - ✓ वह मंत्रियों के बीच कार्यों के बंटवारे (पोर्टफोलियो/विभाग आवंटन) के लिए भी नियम बनाएगा।

❑ मुख्यमंत्री के कर्तव्य : अनुच्छेद 167

- 167(a) → राज्य के प्रशासन और कानून बनाने (विधायी) के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना।
- 167(b) → राज्य के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी राज्यपाल को सौंपना, जो राज्यपाल द्वारा मांगी जाए।
- 167(c) → यदि राज्यपाल अपेक्षा करे (चाहे), तो किसी ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के सामूहिक विचार के लिए प्रस्तुत करना, जिस पर किसी एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से निर्णय ले लिया है, लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है।

प्रथम प्रशासनिक सुधार — 1966	राजमन्नार समिति — 1969	सरकारिया आयोग — 1983
○ प्रथम अध्यक्ष → **मोरारजी देसाई**, — बाद में **के. हनुमंतैया** ○ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005, **वीरप्पा मोइली** — बाद में **वी. रामचंद्रन**)	○ तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में गठित → रिपोर्ट — 1971 ○ अध्यक्ष — डॉ. पी.वी. राजमन्नार (मद्रास HC) ○ केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बनी पहली बड़ी समिति	○ अध्यक्ष → रणजीत सिंह सरकारिया (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) ○ केंद्र-राज्य संबंधों पर सबसे प्रामाणिक और सर्वाधिक उद्धृत आयोग ○ राज्यपाल को हटाने का कारण बताना चाहिए और हटाने से पूर्व उसे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए।
○ किसी भी **व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल** नियुक्त किया। ○ नियुक्ति से **पहले मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श** अवश्य। ○ **सार्वजनिक व प्रशासनिक अनुभवयुक्त** व्यक्ति।	○ राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से ही होनी चाहिए। ○ एक समिति गठित की जानी चाहिए जिसके सदस्य — न्यायाधीश, प्रख्यात वकील व प्रशासक हों।	○ राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ○ अनुच्छेद 156 में संशोधन कर, नियुक्ति में मुख्यमंत्री की प्रभावी सलाह-मशविरा से निर्णय होना चाहिए। ○ राज्यपाल सक्रिय राजनीति से संबंधित न हो। ○ राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष निश्चित होनी चाहिए। ○ केंद्र में सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति राज्यपाल न हो और वह राज्य की राजनीति से आत्मीयता से न जुड़ा हो।

वेंकट चलैया समिति — 2000	पूंछी आयोग — 2007
○ **राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC)** ○ न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) ○ इसने मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन, शिक्षा के अधिकार, दल-बदल कानून में कठोरता, अंतर्राज्यीय परिषद को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जैसे विषयों पर भी सिफ़ारिशें दीं।	○ अध्यक्ष — न्यायमूर्ति मदन मोहन पूंछी (पूर्व मुख्य न्यायाधीश) ○ रिपोर्ट 2010 में — सात खंडों में। ○ सरकारिया "सुधारवादी" है और पूंछी "आमूल परिवर्तनवादी"। ○ "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" (during the pleasure of the President) वाक्यांश को हटाने की सिफारिश की।
○ नियुक्ति हेतु समिति → केंद्र (प्रधानमंत्री, गृहमंत्री), राज्य (मुख्यमंत्री) और विधायिका (लोकसभा अध्यक्ष) ○ कार्यकाल 5 वर्ष हो। ○ हटाने से पहले मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए ○ दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप न हो। ○ विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमपूर्ण तरीके से हो ○ राज्यपाल मित्र, दार्शनिक व मार्गदर्शक (friend, philosopher & guide) के रूप में कार्य करे।	○ राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर ही हटाया जाना चाहिए। ○ राज्यपाल की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की समिति; ○ राज्यपाल का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल; ○ मुख्यमंत्री की नियुक्ति हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश ○ राज्यपाल को कुलाधिपति के पद से मुक्त करने का सुझाव

कसौटी	प्रथम ARC (1966)	राजमन्नार (1969)	सरकारिया (1983)	पूंछी (2010)	वेंकट चलैया (2002)
मुख्यमंत्री से परामर्श	✓	✓	✓	—	✓
गैर-राजनीतिक	✓	—	✓	—	—
कार्यकाल की सुरक्षा	—	—	✓	✓	✓

कसौटी	निष्कर्ष (Takeaway)
1. मुख्यमंत्री से परामर्श	○ नियुक्ति या हटाने से पूर्व मुख्यमंत्री से "प्रभावी सलाह" अनिवार्य हो। ○ पाँच में से चार आयोगों ने यही कहा।
2. गैर-राजनीतिक	○ व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त हो, पर सक्रिय दलगत राजनीति से दूर हो।
3. कार्यकाल की सुरक्षा	○ 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल। "राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" हटाने के बजाय कारण बताया जाए।